लेखा·योग

विअविअ बैङ्क खाते में परिवर्तन   अङ्क १४; नवम्बर-०३, (सितम्बर- ०४ में प्रकाशित)

इस अङ्क में

क्या इसकी अनुमति है? १

प्रक्रिया १

१. बैङ्क का चयन १

१ अ. पहले से विद्यमान बैङ्क खाते का प्रयोग १

२. बैङ्क खाता खोलना २

३. बैङ्क खाते को विअविअ हेतु नामित करना २

४. प्रारूप विअ-८ को भरना २

५. इसके विषय में एक पत्र लिखें। ३

६. आवेदन-पत्र प्रेषित करना ४

७. प्रक्रिया ४

प्रपत्र जो संलग्न होंगे। ४

कई परिस्थितियों में जनसेवी संस्थाएँ अपना विअविअ[1] बैङ्क खाते में परिवर्तन चाहती हैं। क्या वे ऐसा कर सकती हैं? यदि हाँ, तो उसकी प्रक्रिया क्या है? लेखा·योग के इस अङ्क में ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया गया है।

क्या इसकी अनुमति है?

हाँ, गृह मन्त्रालय द्वारा विअविअ बैङ्क खाते में परिवर्तन की अनुमति है। परन्तु, ऐसा आप स्वयं नहीं कर सकते। आपको इसके लिए मन्त्रालय से अनुमति लेनी होगी। इस पूरी प्रक्रिया में १ से ३ माह तक का समय लग सकता हैं।

कभी-कभी, जब बैङ्क का कम्प्यूटरीकरण होता है तब बैङ्क आपको आपके खाता संख्या के स्थान पर नया खाता संख्या देता है। इसे बैङ्क खाते में परिवर्तन नहीं माना जाता। परन्तु, आप इस परिवर्तन[2] की सूचना एक साधारण पत्र द्वारा मन्त्रालय को दे सकते हैं।

प्रक्रिया

बैङ्क खाता बदलने के लिए वैध कारण[3] होना चाहिए। आप खाते को एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरित कर सकते हैं या आप बैङ्क भी बदल सकते हैं।

१. बैङ्क का चयन

दोनों ही परिस्थितियों में नयी शाखा या नये बैङ्क का चयन करते समय सावधानी[4] रखें। नहीं तो आपकी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी।

१ अ. पहले से विद्यमान बैङ्क खाते का प्रयोग

कुछ परिस्थितियों में आपको नया बैङ्क-खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होती। आप पहले से ही विद्यमान बैङ्क खाते, जिसका प्रयोग भारतीय निधि या अन्य उद्देश्यों के लिए हो रहा है, का प्रयोग कर सकते हैं।

---

[1] विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम

[2] बैङ्क के उस पत्र की प्रति जो उन्होंने आपको परिवर्तन की सूचना देने के लिए भेजा था।

[3] आप अपना बैङ्क खाता में क्यों परिवर्तन चाहते हैं? इसके एक या कई कारण हो सकते हैं: आपका कार्यालय किसी अन्य जनपद में चला गया है, या आपका बैङ्क अच्छी सेवाएँ नहीं दे रहा है, या बैङ्क विदेशी मुद्रा के लेन-देन में अपरिचित है, या आप बचत खाते (चालू खाते के स्थान पर) का प्रयोग करना चाहते हैं ताकि निष्प्रयोजित निधि (idle funds) से कुछ ब्याज कमा सकें।

[4] यह सुनिश्चित कर लें कि सेवा के लिए बैङ्क की अच्छी साख है, वह आर्थिक रूप से सुदृढ है तथा उसके पास विदेशी धन के लेन-देन के लिए अनुभव तथा अच्छा ताना-बाना है। इसका पता आस-पास के लोगों से बातचीत करने पर चल जाएगा। आप अपने अङ्केक्षक से भी इस बात की पुष्टि कर लें। प्रायः उन्हें यह पता होता है कि कोई बैङ्क सुदृढ़ है या नहीं।

यदि आप किसी निजी विदेशी बैङ्क के विषय में सोच रहे हैं तो और अधिक सावधान रहें। ऐसे बैङ्क प्रारम्भ में तो बहुत आकर्षक तथा बचत वाले लगेंगे। परन्तु, कुछ वर्षों बाद जब आप उसमें फँस जाते है तब वे धीरे-धीरे अपना सेवा शुल्क बढ़ाते जाएँगे। साथ ही उनमें से कुछ आर्थिक रूप से उतने सुदृढ़ नहीं होते जितने कि राष्ट्रीयकृत बैङ्क।

यदि आप विद्यमान बैङ्क खाते का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसमें न्यूनतम राशि छोड़कर, शेष राशि को अन्य खाते में अन्तरित (transfer) कर सकते हैं।

इसके बाद आप तीसरे चरण की ओर जा सकते हैं।

२. बैङ्क खाता खोलना

बैङ्क खाता खोलने के लिए पहले आपको शासी-निकाय से एक सङ्कल्प पारित करवाना होगा। सामान्यतः आपका बैङ्क आपको ऐसे सङ्कल्प का प्रारूप दे देगा। आपको उसी के अनुसार अपना सङ्कल्प पारित करना चाहिए। विकल्प में आप निम्नलिखित प्रारूप का भी प्रयोग कर सकते हैं :

सङ्कल्प करते है कि संस्था के नाम से एक बचत / चालू बैङ्क खाता _______________ (बैङ्क का नाम), _______________ (स्थान) में खोला जाएगा।

आगे यह सङ्कल्प करते हैं कि उक्त बैङ्क उन सभी धनादेशों, विनिमय-बिल और वचन पत्रों तथा अन्य पराक्रम्य प्रलेखों का आदर करने के लिए अधिकृत है जो संस्था न्यास के नाम में श्री / श्रीमति ____________ (नाम) ___________ (पदनाम) एवं / अथवा श्री / श्रीमति __________ (नाम) __________ (पदनाम) द्वारा बनाये एवं हस्ताक्षरित किये गये हों।

३. बैङ्क खाते को विअविअ हेतु नामित करना

इसके लिए सङ्कल्प को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता हैः

सङ्कल्प करते हैं कि विदेशी अभिदाय का बैङ्क सञ्चालन .... (खाता संख्या / बैङ्क / स्थान) में स्थानान्-तरित कर दिया जाएगा तथा .... (वर्तमान खाता संख्या / बैङ्क / स्थान) को बन्द कर दिया जाएगा, यदि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, १९७६ के अन्तर्गत गृह मन्त्रालय से आवश्यक पूर्व स्वीकृति मिल गई हो।

यह भी सङ्कल्प करते हैं कि इसके लिए श्री/ श्रीमति .... मुख्य कार्यकारी होंगे तथा सभी आवश्यक पत्रों, आवेदनों, तथा अन्य अभिलेखों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होंगे। साथ ही ऐसे अन्य कार्यों के लिए भी अधिकृत होंगे, जो इस सङ्कल्प को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

कभी-कभी आप अपने बैङ्क खाते को किसी नये स्थान पर ले जाना चाहते हैं जो कि आपके मुख्य कार्यालय से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपने प्रस्ताव में इन पंक्तियों को भी जोड़ लेंः

सङ्कल्प करते हैं कि .... (संस्था का नाम) का प्रशासनिक कार्यालय कार्यान्वयन की सुविधा के लिए .... (प्रस्तावित स्थान) में खोला जाएगा।

४. प्रारूप विअ-८ को भरना

मन्त्रालय के नियमानुसार आपको इसके लिए नया विअ-८ भरना होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको नई पञ्जीकरण संख्या दी जाएगी। ऐसा लगता है कि यह मात्र एक अभिलेखीय आवश्यकता है।

प्रारूप सामान्य ढङ्ग[५] से भरें। परन्तु, कुछ उपबन्धों को अलग तरह से भरना होता है। यह नीचे बताया गया है :

विषय-वस्तु	प्रत्युत्तर
विषय	विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधि-नियम, १९७६ के अन्तर्गत विदेशी अभिदाय की स्वीकृति के लिए पञ्जीकरण का आवेदन - बैङ्क खाता बदलने का अनुरोध
१ (iv) (क) & (ख) मुख्य लक्ष्य तथा उद्देश्य	अपनी संस्था का सङ्गम-ज्ञापन फिर से संलग्न करें।
१ (v) शासी-निकाय का विवरणः	पुनः वर्तमान शासी-निकाय के सदस्यों के नाम तथा पते दें।
४ (i) (क) क्या पहले अधि-नियम के अधीन विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की पूर्व अनुज्ञा प्रदान की गई थीः	'लागू नहीं' [स्थायी विअविअ पञ्जीकरण संख्या गृह मन्त्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या__________ दिनाङ्क _______ (अपना विअविअ पत्र संख्या तथा दिनाङ्क दें) द्वारा दी जा चुकी है। विअविअ पञ्जीकरण-पत्र की एक प्रति संलग्न]
४ (i) (ख) क्या प्राप्त विदेशी अभिदाय की प्राप्ति तथा उपयोग का लेखा विहित प्रारूप में केन्द्रीय सरकार को भेज दिया गया थाः	'लागू नहीं' [निर्दिष्ट विअ-३ प्रतिवेदन प्रतिवर्ष निर्देशित समय सीमा में भेजा गया है। विअ-३ की एक प्रति आपके अवलोकन के लिए संलग्न।]

[५] देखें लेखा·योग - ४२ः विअविअ पञ्जीकरण। प्रत्युत्तर स्पष्ट अक्षरो में लिखे या टङ्कित होने चाहिए।

विषय-वस्तु	प्रत्युत्तर
६ (i) क्या कभी विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, १९७६ के अधीन पञ्जीकरण के लिए आवेदन किया थाः	'लागू नहीं' [गृह मन्त्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या _______ दिनाङ्क _______ (अपना विअविअ पत्र संख्या तथा दिनाङ्क दें) द्वारा विअविअ में पहले से ही पञ्जीकृत है। विअविअ पञ्जीकरण संख्या_________ (अपनी विअविअ पञ्जीकरण संख्या दें)।
९ (i) बैङ्क की शाखा का नाम तथा पताः	नये बैङ्क (शाखा) का नाम तथा पता लिखें जहाँ विअविअ धन प्राप्त होगा।
९ (ii) बैङ्क खाता संख्याः	नये बैङ्क की खाता संख्या लिखें।
९ (क) प्रमाण-पत्र	यदि बैङ्क खाता संख्या में परिवर्तन हो रहा है तो, इस प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

५. इसके विषय में एक पत्र लिखें।

आपको परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट करते हुए विअविअ विभाग को एक पत्र लिखना होगा। उस पत्र में निम्न-लिखित पंक्तियाँ रखी जा सकती हैं। यह पत्र संस्था के पत्र-शीर्षक पर ही लिखा होना चाहिए।

सेवा में,

सचिव भारत सरकार
गृह मन्त्रालय
लोक नायक भवन, खान बाजार
नई दिल्ली - ११० ००३

विषय : विअविअ खाते का ……………बैङ्क से ………………. बैङ्क में परिवर्तन के लिए अनुमति

सन्दर्भ : विअविअ पञ्जीकरण संख्या…………………

तिथि………….

महोदय :

ऊपर दिये गये विषय के बारे में निम्न बातें प्रस्तुत करते हुए हमें हार्दिक प्रसन्नता हो रही हैः

हमारी संस्था, ... (संस्था का नाम), विअविअ के अन्तर्गत पत्र संख्या ……………. दिनाङ्क …………… द्वारा पञ्जीकृत है। हमें स्थायी विअविअ पञ्जीकरण संख्या ……………… दी गई है।

विअविअ निधि के लिए उल्लेखित बैङ्क का खाता संख्या ………………, ……………बैङ्क, ………… (स्थान) में है।

आवेदित परिवर्तन के कारणः

१.

२.

अतः हम निवेदन करते हैं कि हमारा उल्लिखित विअविअ बैङ्क खाता संख्या …………… जो कि ……………… बैङ्क, ………………… (वर्तमान स्थान) पर है, से स्थानान्तरित कर के बैङ्क खाता संख्या ……………, ……………… बैङ्क, …………… (नया स्थान) में परिवर्तित कर दिया जाए।

शासी-निकाय द्वारा पारित प्रस्ताव (प्रति संलग्न) के अनुसार मात्र विअविअ लेन-देन (प्राप्ति एवं उपयोग) के लिए ही यह खाता खोला गया है / इस खाते का प्रयोग किया जाएगा[६]। इस खाते का उपयोग विअविअ लेन-देन के लिए आपकी अनुमति मिलने पर ही किया जाएगा।

हम वचन देते हैं कि आवेदित अनुमति मिलने पर, हम वर्तमान विअविअ बैङ्क खाता संख्या …………… का प्रयोग विअविअ लेन-देन के लिए करना बन्द कर देंगे। हम वर्तमान विअविअ बैङ्क खाते से शेष विअविअ निधि को नये बैङ्क खाता संख्या ………में अन्तरित करके विअविअ लेन-देन के लिए ………… बैङ्क ………… (नया स्थान) का प्रयोग करेंगे।

अतः हमारे वर्तमान विअविअ बैङ्क खाता संख्या ……., …………. बैङ्क, …………… के स्थान पर नये बैङ्क खाता संख्या…………, ………….. बैङ्क, ……………. (नया स्थान) को विअविअ बैङ्क खाते के रूप में स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे।

निर्धारित प्रारूप विअ-८ में आवेदन नीचे दिए गये सभी आवश्यक प्रपत्रों के साथ संलग्न है।

हमें विश्वास है कि ऊपर दिये गये सभी विवरण आपकी आवश्यकता के अनुसार होंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी जानकारी, सूचना या स्पष्टीकरण देने में हमें प्रसन्नता होगी।

धन्यवाद,

[६] अपनी आवश्यकता के अनुसार एक को काटें।

अनुगृहीत,

(मुख्य कार्यकारी)

.... (संस्था)

संलग्न-पत्र ....

६. आवेदन-पत्र प्रेषित करना

अब आप अपना आवेदन-पत्र प्रेषित कर सकते हैं। इसे भेजने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप ने वह सभी प्रपत्र संलग्न कर लिए हैं जो अगले खण्ड में सूचीबद्ध किये गये हैं।

७. प्रक्रिया

इस परिवर्तन की प्रक्रिया में १-३ माह तक का समय लग सकता है। इस बीच आपको पुराने विअविअ बैङ्क खाते का प्रयोग करना होगा। इस प्रक्रिया के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। गृह मन्त्रालय आपको अपने निर्णय की सूचना पञ्जीकरण प्रमाण-पत्र की नई प्रति के माध्यम से देगा। इसमें आपके नये विअविअ बैङ्क खाते का विवरण होगा। इसकी एक प्रति आपके बैङ्क को भी जाएगी।

यदि कारण उचित है तो सामान्यतः बैङ्क परिवर्तन की अनुमति सरलता से मिल जाती है। परन्तु कभी-कभी आवेदन अस्वीकृत हो जाता है। ऐसे प्रकरणों में आप नये बैङ्क खाते का प्रयोग विअविअ के लिए नहीं कर सकते। इस परिस्थिति में आपको या तो नया बैङ्क खाता बन्द करना होगा या उसे अन्य कार्यों के लिए प्रयोग करना होगा।

प्रपत्र जो संलग्न होंगे।

१. वर्तमान विअविअ पञ्जीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति
२. संस्था के पञ्जीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति
३. संस्था के सङ्गम-ज्ञापन की सत्यापित प्रति
४. शासी-निकाय/ परिषद् द्वारा विअविअ बैङ्क खाते में परिवर्तन के लिए सङ्कल्प की सत्यापित प्रति
५. नवीनतम भरे हुए विअ-३ प्रतिवेदन (संलग्न-पत्रकों के साथ) की प्रति
६. नया भरा हुआ विअ-८ प्रारूप
७. जहाँ नया बैङ्क खाता खुला है उस बैङ्क से प्राप्त पत्र, जिसमें विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए खोले गये बैङ्क खाते का विवरण दिया हो

सम्बन्धित लेखा·योग

४२ : विअविअ पञ्जीकरण

२६ : प्रारूप विअ-८

९६ : विअविअ का परिचय

लेखा·योग क्या है - 'मानक हिन्दी कोश' के अनुसार योग के कम से कम ४० अर्थ होते हैं। गणित में योग का अर्थ है दो संख्याओं को जोड़ना। आध्यात्मिक रूप से योग का अर्थ तपस्या अथवा साधना होता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने निष्काम कर्म को योग बताया है। लेखा कर्म में यह तीनों भाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यदि लेखाकार लेखा लिखने और योग लगाने में योगफल की चिन्ता न करें तो अवश्य ही संस्थाओं के लेखा-जोखा में सुधार होगा। लेखा·योग का यही उद्देश्य है।

लेखा·योग की हिन्दी कैसी हो - इस विषय पर गहन सोच-विचार के उपरान्त यह निष्कर्ष निकला कि जहाँ तक सम्भव हो, शुद्ध भाषा और वर्तनी (स्पैलिङ्ग) का प्रयोग किया जाये। अर्थात् अन्य भाषाओं से लिये गये शब्दों का प्रयोग कम-से-कम हो। हमारा मानना है कि इससे हमारी और पाठकों की भाषा-क्षमता का विकास होगा। इस सिद्धान्त को न मानने से आँग्ल (अँग्रेजी) भाषा की जो दुर्दशा हुई है वह सबको विदित है। आँग्ल भाषा में आलस्यवश (अथवा अज्ञानवश) अन्य भाषाओं से शब्द सीधे आयात कर लिये गये। इससे आँग्ल शब्दों की गणना में विस्तार तो हुआ परन्तु उनके अर्थ, उच्चारण और वर्तनी की जटिलतायें बढ़ती गयीं। इनको सुलझाने में रोमन लिपि के सीमित वर्णाक्षर (२६) सर्वथा असमर्थ रहे हैं। इसलिये आँग्ल भाषा के लिये बड़े-बड़े शब्द-कोश बनाने पड़े हैं। सौभाग्य से हिन्दी अभी तक इन दोषों से सामान्यतः मुक्त रही है। आशा है कि हमारा यह क्षुद्र प्रयास हिन्दी की गरिमा बनाये रखने में किञ्चित् सहायक होगा।

लेखा·योग हर माह प्रकाशित होता है। इसमें जन-सेवी संस्थाओं के नियमन व लेखा-प्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की जाती है। यह विभिन्न जन-सेवी संस्थाओं, दातव्य संस्थाओं, व अङ्केक्षण प्रतिष्ठानों (ऑडिट फर्म) में लगभग १२०० व्यक्तियों को वितरित किया जाता है। लेखा·योग के प्रत्युत्पादन या पुनर्वितरण को अकाउण्टएड इण्डिया प्रोत्साहित करता है यदि ऐसा अव्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए एवं इनके स्रोत को अभिस्वीकार किया जाए।

आँग्ल भाषा में लेखा·योग - This issue of Lekha·Yog is available in English as AccountAble.

लेखा·योग का वाभ-स्वरूप - लेखा·योग के सभी पुराने अङ्कों के आँग्ल संस्करण (AccountAble) हमारे वाभ-स्थल www.AccountAid.net पर उपलब्ध हैं। इनका हिन्दी वाभ-स्वरूप कुछ समय पश्चात् प्राप्त हो सकेगा।

विधि-व्याख्या - यहाँ पर उल्लेखित विधि की व्याख्या साधारण जानकारी हेतु की गयी है। अतः निवेदन है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने परामर्शदाताओं से सम्मति ले लें।

पत्राचार - आपके प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। हमारा पता है - अकाउण्टएड इण्डिया, ५५-ए, खण्ड सी, सिद्धार्थ विस्तार, नई दिल्ली-११० ०१४; दूरभाषः ०११-२६३४ ३१२८, २६३४ ६१११; प्रतिरूप प्रेषिका - २६३४ ३८५२; ई-प्रेषः accountaid@vsnl.com

© AccountAid™ India राष्ट्रीय शक संवत् भाद्रपद १९२६; सितम्बर २००४ ईस्वी